जनवरी-जून 2018

रेवान्त

साहित्य और संस्कृति की त्रैमासिक

[illegible]

रेवान्त

साहित्य एवं संस्कृति की त्रैमासिक पत्रिका

अंक : 29-30
जनवरी-जून 2018

प्रकाशक
ऐश्वर्या सिन्हा

संरक्षक
मुकेश बहादुर सिंह, चेयरमैन,
पीएचडी चैम्बर, लखनऊ

प्रधान संपादक
कौशल किशोर
सम्पर्क : एफ-3144, राजाजीपुरम,
लखनऊ-226017, मो. : 8400208031
ईमेल : kaushalsil.2008@gmail.com

संपादक
डॉ. अनीता श्रीवास्तव

सलाहकार
प्रो. उषा सिन्हा
डा. निर्मला सिंह, संध्या सिंह

उप संपादक
विमल किशोर, कुसुम वर्मा, भावना मौर्य,
आभा खरे, सत्या सिंह, रत्ना श्रीवास्तव, रूपा पाण्डेय

प्रबन्ध सहयोग
इन्दु सिन्हा, साज़िदा सबा,
रोली श्रीवास्तव

संपादकीय कार्यालय
फ्लैट नं. 88, सी-ब्लाक, लेखराज नगीना,
चर्च रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016
मोबाइल : 9839356438, 9621691915
Email : anitasrivastava249@gmail.com

मूल्य : *30/-* रुपया
वार्षिक सदस्यता : 200 रुपये, पांच वर्ष : 800 रुपये
आजीवन सदस्यता : 3000 रुपये

संस्थाओं के लिए सदस्यता शुल्क
वार्षिक : 250 रुपये, पांच वर्ष : 1000 रुपये
आजीवन : 4000 रुपये
(मनीआर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट द्वारा समस्त भुगतान 'रेवान्त पत्रिका' के नाम से लिये जायेंगे)।

प्रकाशित रचनाओं के विचार से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अन्तर्गत विचारणीय।

इस बार ...

संपादकीय

'लौटा दो मेरे बीते हुये दिन' : 2
बलात्कार समस्या ही नहीं गंभीर बीमारी भी : 4

विशेष

वो बोलेंगी तो आततइयों के परखचे उड़ा देंगी :
शीला रोहेकर, सीमा आजाद, प्रतिभा कटियार, विमल किशोर और वीणा भाटिया की कविताएं। : 5

आलेख

कार्ल मार्क्स, एक जीवन परिचय : ***गोपाल प्रधान*** : 11
मानव मुक्ति का लांग मार्च जारी है : ***दीपंकर भट्टाचार्य*** : 13
भारत की पहली जंगे आज़ादी और कार्ल मार्क्स : ***इंद्रेश मैखुरी,*** : 16
ग़ज़ल का परिन्दा : ***ओमप्रकाश नदीम*** : 25
उम्मीदों भरा आसमान.... : ***डा. डी.एम. मिश्र*** : 27
हवा परिन्दों पर भारी है : ***डा. उषा राय*** : 29

स्मृति लेख

उमेश सिंह चौहान के साथ दोस्ती का सफ़र : ***गम्भीर सिंह पालनी*** : 19

काल से होड़

राम निहाल गुंजन और **जितेन्द्र कुमार** की कविताएं : 31

कहानियाँ

लव-2018 : ***रत्ना श्रीवास्तव*** : 49
अर्ध सत्य : ***कपिल शर्मा*** : 54
हकीकत कुछ और ही है : ***डा. निर्मला सिंह 'निर्मल'*** : 57

जेल डायरी

कुछ खट्टी मीठी यादें, बातें : ***विश्व विजय*** : 38

कविता संवाद

अवाम का शायर : रफ़ीक शादानी : **स्वप्निल श्रीवास्तव** : 42
रफ़ीक शादानी की कविताएं : : 43

ग़ज़लें

देवकी नन्दन शांत, फरहत दुर्रानी 'शिकस्ता' और शैलेन्द्र शांत : 46

कविताएं

अशोक श्रीवास्तव, मनोज कुमार झा, सुशील कुमार और मार्टिन जॉन : 59

आवरण : राजवंत राज

'लौटा दो मेरे बीते हुये दिन'

यह कैसा लोकतंत्र है? जिन्होंने इन्दिरा गांधी को हिटलर कहा तथा आपातकाल को अंधेरे का शासन, उन्होंने क्या दिया? एक ऐसा अघोषित इमरजेन्सी जिसके जबड़े में सब फंसा है पुलिस, प्रशासन से लेकर तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं यहां तक कि न्यायपालिका भी। संस्थाओं की स्वायतता, निष्पक्षता और गुणवत्ता नष्ट की जा रही है। उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के अनुकूल ढ़ाला जा रहा है। इन्दिरा गांधी ने देश पर जिस इमरजेन्सी को थोपा था, उसमें तो पता था कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। हम जानते थे कि लिखने और बोलने की आजादी पर रोक है, प्रेस सेंसरशिप है। सरकार की आलोचना आप नहीं कर सकते। लेकिन आज संविधान भी है, कानून का शासन भी है और इनकी दुहाइयां भी दी जा रही हैं। संविधान दिवस का आयोजन किया जाता है। डॉ अम्बेडकर का अपने हितों में इस्तेमाल करने, उन्हें अपने अनुकूल ढ़ालने की कोशिश हो रही है। डॉ. अम्बेडकर ने 'मनुस्मृति' की होली जलाई थी, पर उन्हें आधुनिक 'मनु' बनाकर हड़प लेने की कवायद की जा रही है। हालात तो ऐसी है कि कब आपकी जनतांत्रिक गतिविधियां असंवैधानिक घोषित कर दी जाय और कानून का शिकंजा आप पर कस जाय नहीं कहा जा सकता। आप प्रेस कांफ्रेस करते हुए भी गिरफ्तार किये जा सकते हैं। आपका किसी धरना-प्रदर्शन का समर्थन करने को संज्ञान में लिया जा सकता है, आप पर मुकदमा कायम किया जा सकता है। यह सब आज हो रहा है। इसीलिए तो इसे अघोषित इमरजेन्सी कहा जा रहा है।

हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक रविभूषण ने इन्दिरा गांधी की इमरजेन्सी से आज के हालात की तुलना करते हुए कहा 'आज जितनी चीजें घट रही हैं, आपातकाल में नहीं घटी थीं। दलितों पर अत्याचार नहीं था, लव जिहाद नहीं था, गांधी के हत्यारों की आरती नहीं उतारी जाती थी, पत्रकारों को उनके घर नहीं मारा जाता था। लोकतंत्र को भीड़तंत्र में नहीं बदला जा रहा था। विरोधियों को पाकिस्तान जाने की धमकियां नहीं मिलती थीं। इन्दिरा गांधी को किसी समुदाय के प्रति घृणा नहीं थी। लीचिंग नहीं थी। गौरक्षक नहीं थे। वरिष्ठ मंत्रियों को 'ट्रोल' करने का सवाल नहीं था। विरोधियों को राष्ट्रद्रोही कहने का कोई चलन नहीं था। मुसलमान कभी इतने आतंकित और भयग्रस्त नहीं रहे।' और यह सब 'अच्छे दिन' के नाम पर किया जा रहा है। अब तो लोग बाग कहने भी लगे हैं 'लौटा दो मेरे बीते हुए दिन'।

हमारा नागरिक समाज जो शान्ति, सम्मान और सुरक्षा का जीवन चाहता है, उसे विशेष तौर से दो प्रश्नों ने बहुत परेशान कर रखा है, वह है गैंगरेप और मॉब लीचिंग। हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें स्त्री और पुरुष को कानूनन समानता है, इसके बावजूद वह आमतौर पर मादा मवेशी की तरह ही देखी और समझी जाती हैं। समाज, साहित्य, कला से लेकर राजनीति तक वह पुरुषों और उनके द्वारा निर्मित संरचनाओं को अभिव्यक्त करने का उपादान मात्र है। स्त्री की प्रतिभा और उसका सौंदर्य भी पुरुषों की आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन मात्र है। कवि रघुवीर सहाय के शब्दों में कहूं 'स्त्री की देह उसका देश है'। विडम्बना यह है कि मर्दाना राष्ट्रवाद इस देह पर कब्जा करने तथा जीते जाने वाले शरीर के रूप में देखता है। उनके लिए वह यौन क्रीड़ा की वस्तु है। अब तो राजनीतिक व्यवस्था का दोहरापन उजागर हो गया है जिसमें एक तरफ स्त्रियों को लेकर बड़ी 'आदर्शवादी' बातें की जाती हैं, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का शोर मचाया जाता है, वहीं बलात्कारियों का विजय रथ स्त्रियों की स्वतंत्रता से लेकर उनकी देह तक को रौंदता गुजर रहा है।

हमारे यहां बलात्कार जैसी घटनाएं पहले भी होती थीं। आंकड़े बताते हैं कि स्त्रियों पर होने वाली हिंसा और यौन उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। मनमोहन सिंह सरकार के समय निर्भया कांड ने पूरे समाज को उद्वेलित कर दिया। सरकार को बाध्य कर दिया कि वह ऐसा सख्त कानून बनाये ताकि असामाजिक तत्वों व बलात्कारियों में कानून का डर पैदा किया जा सके। सरकार ने जस्टिस वर्मा आयोग का गठन किया। नये कानून बनाये गये। लेकिन बलात्कार व स्त्रियों पर होने वाली हिंसा में कमी नहीं आई। यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियों से लेकर उम्रदराज महिलाएं इसका शिकार बनी है। गैंगररेप के साथ हत्या आम बात हो गई है।

थामसन रॉयटर्स फाउण्डेशन ने भी अपने सर्वे में महिलाओं के लिए मानव तस्करी, यौन शोषण और हिंसा के मामले में भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना है। इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, उसे झुठलाया नही जा सकता है। वर्तमान समय का सबसे दुखद व भयावह पहलू यह है कि इस बर्बरता को सामाजिक समर्थन मिला है। कई मामलों में हमने देखा कि बलात्कारियों और अपराधियों को सत्ताधारियों व राजनेताओं का संरक्षण मिल रहा है। पिछले दिनों कठुआ और उन्नाव में जो घटनाएं हुईं, उनमें यह देखने में आया। जम्मू के कठुआ में बात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकला जिसमें सत्ताधारी दल के मंत्री भी शामिल थे। उस जुलूस में तिरंगा लहराया गया। उन्नाव में भी इसी प्रकार की कहानी दोहराई गई। इस तरह बलात्कारियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल हुआ। अब तो सत्ताधारी दल के एक विधायक यह कह रहे हैं कि भगवान राम भी आ जाये तब भी रेप नहीं रुकने वाला। ऐसा कह वे अपने शासन की अक्षमता को बताना चाहते हैं या इस अपराध को सामाजिक नियति मान इसे मान्यता प्रदान करना चाहते हैं। क्या यही उनके 'अच्छे दिन' और 'रामराज्य' है?

सार रूप में कहा जा सकता है कि स्त्री सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा हमारा सामाजिक ढ़ांचा, मर्दाना दृष्टिकोण और पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जिसके नीचे दबने-पिसने के लिए स्त्री समुदाय को बाध्य किया जा रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि स्त्रियों की बड़ी जमात घर में बैठने को तैयार नहीं। अपने अधिकारों के प्रति उनमें सजगता है। वे बाहर निकल रही हैं और सामूहिक पहल ले रही हैं। वे बलात्कारियों से लेकर इन्हें संरक्षण देने वाली व्यवस्था से लड़ने-भिड़ने को तैयार हैं। कठुआ, उन्नाव, मंदसौर, खूंटी, लखनऊ.....यौन उत्पीड़न और हिंसा की हरेक घटना के विरोध में वे सड़कों पर उतर रही हैं। वे समानता व स्वतंत्रता का अधिकार कागजों में नहीं, अपने जीवन में और जमीन पर देखना चाहती हैं। वे बेखौफ आजादी चाहती हैं। निर्भया, आसिफा प्रतिरोध का प्रतीक बनकर उभरी हैं। बड़ी मात्रा में कविताएं लिखी गई, सभी भारतीय भाषाओं में रचनाकरों ने अपने भाव-विचार को व्यक्त किया है। 'कथान्तर' और 'नवारुण' ने ऐसी कविताओं का संग्रह निकाला है। 'रेवान्त' के इस अंक में विशेष खण्ड में ऐसी ही कविताएं हैं। समझता हूं स्त्री सशक्तिकरण की राह इसी से आगे बढ़ेगी। हम सभी को इस राह का हमराही बनना चाहिए। प्रगतिशील और लोकतांत्रिक होने का यही तकाजा है।

30 जून 2018

काशल किशोर
प्रधान संपादक

बलात्कार समस्या ही नहीं गंभीर बीमारी भी

आज के आधुनिक युग में समाज की संस्कृति पर बात करना ही अशोभनीय है। सोशल मीडिया, टी.वी. पर ऐसे विज्ञापन आते हैं कि परिवार के साथ बैठकर देखना खुद में शर्म की बात है। लेकिन आजकल आधुनिक समाज में बच्चों को किसी बात की शर्म नहीं है। अगर कोई बोल दे तो सीधे जवाब मिलता है आप लोग पुराने ख़यालात के लोग हैं। टी.वी. पर भी औरतों को ही विज्ञापन के लिए चुनते हैं। औरते भी महत्वाकांक्षी हैं, गन्दे से गन्दे विज्ञापन में अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं। इसका असर समाज पर पड़ता है।

बहुत दुख होता है रोज बच्चियों के साथ, औरतों के साथ बलात्कार की खबर पढ़कर। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब आप को बलात्कार की खबर नहीं मिले। सबसे दुख की बात है कि एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसके बाद मौत के घाट उतार देते हैं। लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं है जब घर में बाप, भाई, चाचा, जीजा ही बलात्कार करते हैं और घर वाले उस बात को छुपाते हैं। फिर कहां सुरक्षित हैं लड़कियां? संसार की जन्मदात्री नारी है जो नौ महीने पेट में रखती है, उसी नारी की अस्मिता का भूखा हैं पुरुष समाज।

इसका जवाब किसके पास है? भारत को गैंगरेप का देश कहा जाता है। विदेशों से भी आई महिलाओं के साथ भी बलात्कार होता है। भारत आने में भी विदेशी महिलाएँ डरती है। बलात्कार होता है तो उसका नाम भी पड़ जाता है जैसे निर्भया काण्ड, कठुआ व उन्नाव काण्ड। देश में हो रही रेप की घटनाओं से पूरी दुनिया दुखी है क्योंकि कानून व्यवस्था नियंत्रण से बाहर चली गई है। 2012 में दिसम्बर के महीने में निर्भया दुष्कर्म की घटना घटी उसको निर्भया काण्ड का नाम दे दिया गया। पूरे भारत के लोग सड़क पर उतर आये। आरोपी भी पकड़े गये, उसके बाद तो जैसे चोरी और डकैती होती है उसी तरह बलात्कार खुलकर होने लगा। इससे बड़ी दुख की और क्या होगी कि भाजपा के विधायक सुरेन्द्र सिंह ने कहा राम भी रेप नहीं रोक सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनायें बहुत बढ़ गई है। इस दुष्कर्म को रोकने के लिए कानून जिम्मेदार हैं। सउदी अरब में तो बलात्कार करने वाले के युवक को सड़क पर गोली मार दी जाती है।

मोदी जी विदेश यात्रा करते हैं। वहां जाकर अगर बलात्कार के कानून पर भी चर्चा करें, उसकी तरह भारत में लागू करें तो उम्मीद है कि ऐसी घटनायें रुक जाये। यहाँ 5 साल तक केस चलता है जैसे निर्भया काण्ड को ही ले लीजिए, 2012 का निर्भया काण्ड और 2018 में फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसी घटना के बाद तो आरोपी को तुरन्त सजा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए।

आज का सामाजिक ढांचा बदल गया है। थाने में निरपराध की हत्या, थानेदार की हत्या, थाने व जेल में हत्या, बलात्कार, मन्दिर और मस्जिद में कहाँ है सुरक्षा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार से, कानून से कि कैसे अपराध को रोक पायेंगे। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, देश का पहला बलात्कारी देश हो गया है। आज किसी स्त्री से चर्चा करती हूँ सुनने में एक ही उत्तर आता है हमें डर लगता है, दम घुटता है कि कैसे बच्चियों की रक्षा करूँ? आज देश की स्थिति को देख के एक ही प्रश्न उठता है कि बलात्कार कैसे रोका जाये? यह समस्या ही नहीं बहुत ही गम्भीर बीमारी की तरह हम लोग के बीच है।

-डॉ अनीता श्रीवास्तव
सम्पादक

लखनऊ
30जून 2018